न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री रतनलाल रेगर

(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 144/2017 राजस्व प्रार्थनापत्र

उनवान

1 कुणनादेवी पत्नि गजानन्द ब्राहमण उम्र वयस्क नि0 कासोरिया तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज.)

2 अजोदया देवी पत्नि घेवरचन्द ब्राहमण उम्र वयस्क नि0 कासोरिया तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज.)

3 लाडदेवी पत्नि जगदीश ब्राहमण उम्र वयस्क नि0 कासोरिया तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज.)

————प्रार्थीगण

बनाम

1 देउ पुत्री गोपी गुर्जर उम्र वयस्क नि0 कासोरिया तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज.)

2 भंवरी देवी पत्नि प्रभुदयाल ब्राहमण उम्र वयस्क नि0 कासोरिया तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज.)

3 भवरी देवी पत्नि पुखराज ब्राहमण उम्र वयस्क नि0 कासोरिया तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज.)

4 बेंक ऑफ बडौदा शाखा डाबला तहसील बनेडा जिला भीलवाडा जरिये शाखा प्रबन्धक

5 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

————अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251–(क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन

उपस्थित –

1 श्री कृष्ण कुमार जीनगर.........प्रार्थीगण अधिवक्ता

2 पेरोकार सरकार विपक्षी संख्या 05

निर्णय

दिनांक – 17.07.2018

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वकील प्रार्थीगण/अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251–(क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन दिनांक 28.05.2018 को प्रस्तुत किया।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार मौजा कासोरिया पटवार मण्डल कासोरिया तहसील बनेडा स्थित खतौनी संख्या 45 के आराजी न0 1708, 1710, 1725, 1726, 1727, 1728, 1783, 1784, 1785 कुल किता 09 कुल रकबा 29–01 बीघा प्रार्थीगण एंव विपक्षी कम 02, 03 के पक्ष में खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। एंव प्रार्थीगण के स्वंय के खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु कोई स्थाई चिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नही होने से अडौसी–पडौसीयों से मिन्नत करके अपनी स्वयं की आराजी तक पहुंचना पडता है। पुर्व में विपक्षि की खातेदारी भूमि में होकर आता जाता रहा है। परन्तु अब अप्रार्थीगण द्वारा रूकावट किये जाने से विपक्षिगणो की खातेदारी आराजीयात ग्राम कासोरिया प.ह. क्षैत्र कासोरिया

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

स्थित आराजी सं0 1709 रकबा 02—09 बीघा भूमि के पूर्वी मेर के सहारे—सहारे 15 फिट रास्ता कायमी बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थनापत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये। विपक्षी संख्या 01 लगायत 03 की और से अधिवक्ता श्री महावीर शर्मा द्वारा सुनवाई दिनांक 18.01.2018 को वकालत नामा प्रस्तुत कर जवाब प्रार्थनापत्र आईन्दा प्रस्तुतिकरण हेतु निवेदन किया गया। इसी दौरान प्रकरण को राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 केम्प मुकाम कासोरिया के लिए पंजीबद्ध किया गया। पक्षकारान उभयपक्ष की तलबी हेतु सुचनापत्र जारी किये। नियत शिविर के दौरान विपक्षी संख्या 02, 03 ने उपस्थित, जिनमें से विपक्षी संख्या 03 ने वक्त केम्प जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे रिकार्ड पर लिया गया। चूंकि विहित समयावधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी शेष विपक्षीगण की और से जवाब प्रार्थनापत्र प्राप्त नही हो पाने से नियत शिविर में अप्रार्थीगण का जवाब प्रस्तुतिकरण बन्द किया गया, तथा प्रकरण को बहस अन्तिम चरण हेतु रूटीन कोर्ट के लिए नियत किया गया। सुनवाई दिनांक 05.07.2018 को प्रार्थीगण की और से अधिवक्ता ने उपस्थित होकर प्रार्थनापत्र पर बहस प्रस्तुत कि गई। बहस के दौरान प्रार्थीगण मार्फत अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि मौजा कासोरिया पटवार मण्डल कासोरिया तहसील बनेडा स्थित खतौनी संख्या 45 के आराजी न0 1708, 1710, 1725, 1726, 1727, 1728, 1783, 1784, 1785 कुल किता 09 कुल रकबा 29—01 बीघा प्रार्थीगण एंव विपक्षी कम 02, 03 के पक्ष में खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। एंव प्रार्थीगण के स्वंय के खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु कोई स्थाई चिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नही होने से अडौसी—पडौसीयों से मिन्नत करके अपनी स्वयं की आराजी तक पहुंचना पडता है। पुर्व में विपक्षि की खातेदारी भूमि में होकर आता जाता रहा है। परन्तु अब अप्रार्थीगण द्वारा रूकावट किये जाने से विपक्षिगणो की खातेदारी आराजीयात ग्राम कासोरिया प.ह. क्षैत्र कासोरिया स्थित आराजी सं0 1709 रकबा 02—09 बीघा भूमि के पूर्वी मेर के सहारे—सहारे 15 फिट रास्ता कायमी बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।

तहसीलदार बनेडा द्वारा मामले में प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रेकार्ड एंव मौके का अध्ययन कर नया रास्ता कायमी हेतु संबधित हल्का पटवारी कासोरिया की उपस्थिति में मौका निरीक्षण किया गया। नवीन रास्ता कायमी हेतु हल्का पटवारी द्वारा तरतीब दिया पर्चा मौका, रिपोर्ट पटवारी हल्का नजरी नक्षा प्रस्तावित नक्षा ट्रेस, तैयार प्रस्ताव प्राप्त किये गये, जिसे रिकार्ड पर लिया गया।

हमने प्रकरण में हल्का पटवारी कासोरिया द्वारा प्रस्तुत वैकल्पिक रास्ता कायमी बाबत रिपोर्ट के अध्ययन किया गया। इससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण संख्या 01 की मौजा कासोरिया स्थित आराजी न0 1709 मे से 00—03 बिस्वा भूमि ही रास्ता कायमी हेतु प्रस्तावित हुई है। अतः अप्रार्थीगण को इसे कोई भारी क्षति होने का कथन मान्य नही है। राज्य सरकार द्वारा नवीन संदर्भ में जारी आदेश अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251—(क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन संबधि नया कानून बनाने के पीछे स्पष्ट अभिमन्शा है कि प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावे। यह रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। परन्तु रिपोर्ट तहसीलदार बनेडा मय मौका पर्चा हल्का पटवारी कासोरिया से

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भील.)

प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रार्थीगण को केवल मात्र 00–03 बिस्वा का ही रास्ता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पैश हुए है। इस प्रकार अप्रार्थीगण को न्यूनतम असुविधा का ध्यान रखते हुए आराजी न0 1709 मे से 00–03 बिस्वा भूमि का रास्ता प्रस्तावित हुआ है। सुखाचार अधिनियम में भी स्पष्ट है कि यदि खातेदार को पडौसी खातेदारो की भूमि में से रास्ता नही उपलब्ध कराया गया तो प्रार्थीगण को खेती के कार्य से महरूम रहना पड सकता है।

मेने पत्रावली का उद्योपान्त अध्ययन एंव अवलोकन किया है। प्रार्थीगण द्वारा 15.00 फिट का चाहे गये नवीन रास्ते के मुकाबले तहसीलदार बनेडा द्वारा प्रस्तावित मौजा कासोरिया की स्थित आराजी न0 1709 की पूर्वी दिशा की मेड के सहारे सहारे 00–03 बिस्वा भूमि रास्ता कायमी हेतु यह प्रकरण उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने के आदेश इस प्रकार प्रदत्त किये जाते है कि मौजा कासोरिया पटवार हल्का क्षैत्र कासोरिया कि आराजी न0 1709 की पूर्वी दिशा की मेड के सहारे सहारे 00–03 बिस्वा (15 फिट) भूमि नवीन रास्ता कायमी के आदेश प्रदान किये जाते है। पटवारी हल्का कासोरिया द्वारा प्रस्तावित उक्त 00–03 बिस्वा का जिसे नजरी नक्षा में प्र्दश किया गया है, उसकी एक प्रति तथा नजरी नक्षा की एक प्रति तहसीलदार बनेडा को भिजवायी जाकर हल्का पटवारी कासोरिया के प्रस्ताव अनुसार रास्ता कायम किया जावे।

–:: आदेश ::–

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने से मौजा कासोरिया पटवार मण्डल कासोरिया तहसील बनेडा स्थित खतौनी संख्या 166 आराजी न0 1709 रकबा 02–09 बीघा मे से 00–03 बिस्वा (15.00 फीट) मुताबिक प्रस्ताव, रास्ता कायम किया जाकर तदनुसार रेकार्ड में अमलदरामद तहसीलदार बनेडा द्वारा किया जावें। यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण (आराज़ी न0 1709 वर्तमान खातेदार) के पक्ष में तहसीलदार बनेडा के यहा प्रचलित डी0एल0सी0 की दर 91,692/– रूपये प्रति बीघा अनुसार 00–03 बिस्वा मालियत राशि की दुगुनी राशि 27,508/–रूपये (0.03 बिस्वा की) राज्य कोष अथवा अप्रार्थीगण को अदायगी कर दी जावे/जमा करा दी जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.07.2018 को सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा